260

संख्याः– 1993/XIV–1/2011–5(44)/2010

प्रेषक,

सी0एम0एस0 बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, पत्र
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनॉक 15 दिसम्बर, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में पैक्स मिनी बैकों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना (कारपस फण्ड) के अन्तर्गत अनुपूरक मांग द्वारा प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–6899/नियो0/कारपस फण्ड/2011–12 दिनांक 12 अक्टूबर, 2011, वित्त विभाग के आदेश संख्याः–209/XXVII (1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 एवं अनुपूरक अनुदान की स्वीकृतियों सम्बन्धी आदेश संख्याः–584/XXVII (1)/2011 दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में पैक्स मिनी बैकों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना (कारपस फण्ड) के अन्तर्गत अनुपूरक मांग द्वारा प्राविधानित धनराशि **₹ 10,69,000/– (रूपये दस लाख उनहत्तर हजार मात्र)** निम्नांकित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) उक्त योजना सम्बन्धी शासनादेश संख्याः–6938–43/व0ग्रा0वि0/सह0/2003–04 दिनांक 17 मार्च 2004 के निर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना नियमावली, 2004 की शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार का अशंदान विगत वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 मार्च तक जमा निक्षेप का वार्षिक अंशदान 0.30 प्रतिशत की दर से (वर्ष दौरान निक्षेप राशि पर बृद्धि) अनुमन्य होगा।

(3) प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति, जिला सहकारी बैंक एवं शीर्ष बैंक के अंशदान जो कि क्रमशः 0.15, 0.10 एवं 0.05 (वर्ष के दौरान वृद्धि निक्षेप राशि पर) है, जमा किया जाय। उक्त योजना का अनुश्रवण दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा उसकी प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जाय।

(4) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नहीं है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(5) उक्त धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह के अन्त में या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

(6) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व

स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष, 2011–12 के अनुदान संख्या –18 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनेत्तर–00–800–अन्य व्यय–10–पैक्स मिनी बैंको में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याः– 242(P)/XXVII–4/2011 दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सी0एम0एस0बिष्ट)
अपर सचिव।

संख्याः–1993 (1)/XIV–1/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
4. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
उपसचिव।